बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 का सारांश

परिचय

कई अधिनियमों द्वारा निश्चित प्रतिबंधित रोजगारों में 14 और 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का रोजगार प्रतिबंधित है, लेकिन किसी भी कानून में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बनी है, जो यह तय करे कि वे कौन से रोजगार, व्यवसाय या प्रक्रम हैं, जिनमें बच्चों के रोजगार की मनाही होनी चाहिए। जिन रोजगारों में बच्चों का काम करना प्रतिबंधित नहीं है और जहां वे शोषण दशाओं में काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकांश रोजगारों में कार्य दशाओं को विनियमित करने के लिए कोई कानून भी नहीं है। जिसके लिए इस सन्दर्भ में एक व्यापक कानून बनाने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए संसद में एक बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) विधेयक पेश किया गया।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

कई ऐसे अधिनियम हैं, जो निश्चित निर्दिष्ट रोजगार में 14 वर्ष और 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करते हैं। हालांकि, किसी भी कानून में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बनी है, जो यह तय करे कि वे कौन से रोजगार, व्यवसाय या प्रक्रम हैं, जिनमें बच्चों के रोजगार की मनाही होनी चाहिए। जिन रोजगारों में बच्चों का काम करना प्रतिबंधित नहीं है और जहां वे शोषण दशाओं में काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकांश रोजगारों में बच्चों की कार्य दशाओं को विनियमित करने के लिए कोई कानून भी नहीं है।

इस विधेयक में शामिल है

(i) बच्चों के रोजगार पर रोक लगाना अर्थात वे जिन्होंने निर्दिष्ट व्यवसायों और प्रक्रमों के लिए अपनी चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(ii) प्रतिबंधित व्यवसायों या प्रक्रमों की अनुसूची में संशोधन करने हेतु एक प्रक्रिया बनाना;

(iii) जिन रोजगारों में बच्चों का कार्य करना प्रतिबंधित नहीं है, उनमें बच्चों की कार्य दशाएं विनियमित करना;

(iv) इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियम जो बच्चों के रोजगार को रोकते हैं, का उल्लंघन करके बच्चों को रोजगार में लगाने पर समुचित दण्ड निर्धारित करना;

(v) संबंधित कानूनों में ''बच्चे'' की परिभाषा में एक समानता लाना;

कुछ व्यवसायों और प्रक्रमों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध

किसी भी बच्चे को अनुसूची के भाग ए में निर्धारित किसी भी व्यवसाय में या ऐसे किसी कारखाने में जिसमें अनूसूची के भाग बी में निर्धारित किसी भी प्रक्रम का संचालन किया जाता है, कार्य करने के लिए न तो नियुक्त किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी:

यह प्राविधान किया जाता है कि इस सेक्शन का कोई भी भाग ऐसे किसी कारखाने पर लागू नहीं होगा, जहां कब्जेदार द्वारा किसी एकल का संचालन अपने परिवार की सहायता से किया जाता है या फिर इसका संचालन सरकार द्वारा

(3) सेक्शन 7, 8 और 9 का कोई भी भाग ऐसे किसी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होगा, जिसमें किसी प्रक्रम का संचालन कब्जेदार द्वारा अपने परिवार की सहायता से किया जाता है या फिर इसका संचालन सरकार द्वारा स्थापित, या मिलने वाली सहायता या मान्यता द्वारा किसी विद्यालय के लिए किया जाता है ।

आयु संबंधी विवाद

यदि किसी निरीक्षक और कब्जेदार के बीच किसी बच्चे की आयु को लेकर कोई सवाल खड़ा होता है, जिसे उसके द्वारा प्रतिष्ठान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो या उसे अनुमति दी गई हो, तो ऐसे बच्चे के लिए निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा मंजूर आयु प्रमाण-पत्र के अभाव में, निर्णय के लिए यह मामला निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा ।

पंजी (रजिस्टर) का रखरखाव

प्रत्येक कब्जेदार द्वारा किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य करने के लिए नियुक्त या अनुमति प्राप्त बच्चों से संबंधित एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जो ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य के घंटों के दौरान या जब कार्य किया जा रहा हो, हर समय निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा, जिसमें निम्न बातें दर्ज होंगी-

(अ) कार्य के लिए नियुक्त किए गए या अनुमति प्राप्त प्रत्येक बच्चे का नाम एवं जन्मतिथि;

(ब) ऐसे प्रत्येक बच्चे के कार्य के घंटे व अवधियां तथा विश्राम के लिए मध्यावकाश, जिसका उसे अधिकार है;

(स) ऐसे किसी भी बच्चे के कार्य की प्रकशति; और

(द) निर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे ही अन्य विवरण ।

सेक्शन 3 एवं 14 के सारांश वाली सूचना का प्रदर्शन

प्रत्येक रेलवे प्रशासन, प्रत्येक पत्तन प्राधिकारी और प्रत्येक कब्जेदार को इसके रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर या पत्तन की सीमाओं के अंदर या कार्यस्थल पर, जैसा भी हो, किसी सुस्पष्ट और अभिगम्य स्थान पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में एक सूचना प्रदर्शित करनी होगी जिसमें सेक्शनों 3 और 14 का सारांश दिया गया हो ।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य के लिए नियुक्त या अनुमति प्राप्त बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए स्वच्छता, अपशिष्टों का निपटारा, धूल, प्रकाश, आग से सावधानी, आंखों की सुरक्षा, पीकदानों और, वेन्टीलेशन जैसे मामलों में नियम बनाने का अधिकार सक्षम सरकार को है ।

दण्ड

(1) कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 3 के प्राविधानों का उल्लंघन करके किसी बच्चे को कार्य के लिए नियुक्त

(1) ऐसे प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी के लिए जितने घंटे निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, प्रतिष्ठानों में उससे अधिक समय तक किसी भी बच्चे से न तो काम लिया जाएगा और न ही उसे काम करने की अनुमति होगी।

(2) प्रतिदिन कार्य की अवधि इस प्रकार निश्चित की जाएगी कि कोई भी अवधि तीन घंटों से अधिक नहीं होगी और कोई भी बच्चा कम से कम एक घंटे तक विश्राम के लिए मध्यावकाश लेने से पहले तीन घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा।

(3) उप सेक्शन (2) के अन्तर्गत, बच्चे के कार्य की अवधि को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा कि विश्राम के लिए उसके मध्यावकाश को मिलाकर, अवधि छह घंटों से अधिक नहीं होगी, जिसमें प्रतिदिन कार्य की प्रतीक्षा में व्यतीत समय शामिल है।

(4) किसी भी बच्चे को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के मध्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी और न ही इस बीच उससे काम लिया जाएगा।

(5) किसी भी बच्चे से ओवरटाइम कार्य नहीं लिया जाएगा और न ही उसे इसकी अनुमति होगी।

(6) किसी भी बच्चे से उस दिन किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं लिया जाएगा और न ही उसे कार्य करने की अनुमति होगी, जिस दिन वह किसी दूसरे प्रतिष्ठान में पहले से कार्य कर रहा है।

साप्ताहिक अवकाश

प्रतिष्ठान में प्रत्येक बच्चे को हर हफ्ते एक पूरे दिन का अवकाश दिया जाएगा, कब्जेदार उस दिन को प्रतिष्ठान में किसी उपयुक्त स्थान पर एक नोटिस में स्थाई रूप से निर्दिष्ट करेगा और इस प्रकार निर्धारित दिन को कब्जेदार द्वारा तीन महीनों में एक से अधिक बार बदला नहीं जाएगा।

निरीक्षक को नोटिस

(1) ऐसे प्रतिष्ठान से संबंधित इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से पहले यदि किसी प्रतिष्ठान में तत्काल कार्य करने के लिए किसी बच्चे को कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया हो या अनुमति दी गई हो, तो प्रत्येक कब्जेदार इसके लागू होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर उस निरीक्षक को निम्न विवरणों का उल्लेख करते हुए एक लिखित नोटिस भेजेगा, जिसकी स्थानीय सीमाओं में प्रतिष्ठान स्थित है:

(अ) प्रतिष्ठान का नाम और अवस्थिति;

(ब) प्रतिष्ठान के वास्तविक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम ;

(स) पता जिस पर प्रतिष्ठान से संबंधित पत्र-व्यवहार किया जाना चाहिए; और

(द) प्रतिष्ठान में संचालित व्यवसाय या प्रक्रम की प्रकृति।

(2) प्रत्येक कब्जेदार, जो ऐसे प्रतिष्ठान से संबंधित इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के बाद किसी बच्चे को कार्य करने के लिए नियुक्त करता है या अनुमति देता है, वह इस रोजगार की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर उस निरीक्षक को उप सेक्शन (1) में उल्लिखित विवरणों वाली एक लिखित नोटिस भेजेगा, जिसकी स्थानीय सीमाओं में प्रतिष्ठान स्थित है।

व्याख्या- उप सेक्शन (1) और (2) के उद्देश्य हेतु, ''किसी प्रतिष्ठान से संबंधित, इस अधिनियम के लागू होने की तिथि'' का अर्थ है, ऐसे प्रतिष्ठान से संबंधित इस अधिनियम को प्रभाव में लाने की तिथि ।

(ब) सेक्शन 11 के तहत आवश्यक रजिस्टर के रखरखाव में विफल हो जाता है या ऐसी किसी रजिस्टर में गलत प्रविष्टि करता है; या

(स) सेक्शन 3 और सेक्शन 2 के तहत आवश्यक इस सेक्शन के सारांश वाली किसी सूचना को प्रदर्शित करने में विफल हो जाता है; या

(द) इस अधिनियम के प्राविधानों या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने में विफल हो जाता है या उनका उल्लंघन करता है,

वह साधारण कारावास, जो एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों के द्वारा दण्डनीय होगा ।

अपराधों से संबंधित कार्यवाहियां

(1) कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध आयोग की शिकायत सक्षम न्यायक्षेत्र के न्यायालय में दायर कर सकता है ।

(2) किसी बच्चे की आयु से संबंधित प्रत्येक प्रमाण पत्र, जो निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त है, इस अधिनियम के मामलों के लिए उस बच्चे की आयु के लिए एक निर्णायक साक्ष्य होगा, जिससे यह संबंधित है ।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध की सुनवाई किसी मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ न्यायालय में नहीं होगी ।

पंजी (रजिस्टर) अधिनियम के सेक्शन 11 के अन्तर्गत रखरखाव किया जाएगा

(1) किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक कब्जेदार फार्म अ में कार्य करने के लिए नियुक्त या अनुमति प्राप्त बच्चों से संबंधित रजिस्टर का रखरखाव करेगा ।

(2) रजिस्टर का रखरखाव वार्षिक आधार पर किया जाएगा लेकिन उसे नियोक्ता द्वारा अंतिम प्रविष्टि की तिथि के बाद तीन वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा ।

आयु प्रमाण-पत्र

(1) अनुसूची के भाग अ में निर्धारित किसी भी व्यवसाय के रोजगार में या किसी ऐसे कारखाने में जिसमें अनुसूची के भाग ब में निर्धारित किसी प्रक्रम का संचालन किया जाता है, कार्यरत सभी युवा व्यक्तियों को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्रदत्त आयु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जब भी किसी निरीक्षक द्वारा इसकी मांग की जाए ।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित आयु प्रमाण-पत्र प्रपत्र-बी में निर्गत किया जाए ।

(3) ऐसे प्रमाण-पत्र के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को देय शुल्क राज्य सरकार या केन्द्र सरकार जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उनके चिकित्सा बोर्डों हेतु निर्दिष्ट किए गए अनुसार ही होने चाहिए ।

(4) चिकित्सा प्राधिकारी को देय शुल्क, प्रश्नांतर्गत आयु वाले अल्पवयस्क के नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे ।

किसी अन्य जानकारी/स्पष्टीकरणों के लिए, कृपया आपकी राज्य सरकार (श्रम विभाग) से संपर्क करें।

Published by : *JBA Publishers* : 5061, Sant Nagar, Near Dev Nagar Jain Mandir, Desh Bandhu Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, Phone : 44332211, 42542652, 47528979 , Fax : +91-11-4151 3850 , E-mail : sales@jba.in , Website : www.jba.in